संचालनालय, आयुर्वेद योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध एवं होम्योपैथी, (आयुष) छत्तीसगढ़

ब्लॉक-1, तृतीय तल, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर 492002

फोन नं. (0771) 2221640, फैक्स - 2221641, ईमेल - cgayush@gmail.com

---

क्रमांक STU-47/6/2025/1-193/PG Admission नवा रायपुर,दिनांक 14-11-2025

स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी.-आयुर्वेद)/आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम.एस.-आयुर्वेद) में सत्र 2025-26 में राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग के लिए ऑनलाईन आवेदन सूचना

शैक्षणिक सत्र 2025-26 में छत्तीसगढ़ राज्य के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आयुर्वेद वाचस्पति (एम.डी.-आयुर्वेद)/आयुर्वेद धन्वन्तरि (एम.एस.-आयुर्वेद) में प्रवेश हेतु स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग के लिए ऑनलाईन आवेदन दिनांक 15.11.2025 से 19.11.2025 रात्रि 11:59 बजे तक आमंत्रित किये जाते हैं।

छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश नियम 2024 की कंडिका 5. के तहत आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के समस्त रिक्त सीटों को अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित किया गया है।

अतः आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अखिल भारतीय आयुष स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा AIAPGET 2025 में 50 पर्सेन्टाईल प्राप्त करने वाले, पात्र एवं इच्छुक छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी तथा अन्य राज्य के अभ्यर्थी ऑनलाईन पंजीयन कर सकते हैं।

ऑनलाईन पंजीयन करने के पूर्व ‘‘छत्तीसगढ़ स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा प्रवेश नियम 2024‘‘ एवं सूचना पत्र (Information Bulletin) का पूर्णतः अध्ययन कर ही ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करें, जो वेबसाईट https://cgayush.admissions.nic.in में उपलब्ध है।

वे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन कर चुके हैं तथा जिन्हें कोई भी सीट आबंटित नहीं हुआ है, उन्हे स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड की काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु नवीन पंजीयन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन काउंसिलिंग पोर्टल में लॉगिन कर विकल्प चयन करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जिन्हे प्रथम, द्वितीय अथवा मॉप-अप चरण में सीट आबंटन हुआ है, वे स्ट्रे वेकेंसी राउण्ड हेतु अपात्र होंगे।

पंजीयन कार्यक्रम		
क्र.	विषय	विवरण
1	एम.डी.-आयुर्वेद/एम.एस.-आयुर्वेद पाठ्यक्रम के राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन की प्रारंभ तिथि	दिनांक 15 नवम्बर 2025
2	एम.डी.-आयुर्वेद/एम.एस.-आयुर्वेद पाठ्यक्रम के राज्य कोटे की सीटों पर प्रवेश हेतु ऑनलाईन आवेदन के लिए अंतिम तिथि	दिनांक 19 नवम्बर 2025, समय रात्रि 11:59 बजे तक
3	एम.डी.-आयुर्वेद/एम.एस.-आयुर्वेद पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु संस्था एवं विषय का चयन	दिनांक 15 नवम्बर 2025 से 19 नवम्बर 2025, समय रात्रि 11:59 बजे तक
4	ऑनलाईन आवेदन शुल्क (राज्य कोटे की सीटों के लिए) (Non Refundable)	समस्त अभ्यर्थियों हेतु रू. 2000/- (रू. दो हजार मात्र)
5	काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु सुरक्षा निधि (Refundable)	समस्त अभ्यर्थियों हेतु रू. 10,000/- (रू. दस हजार मात्र)

रिक्त सीटों के विवरण एवं विस्तृत जानकारी हेतु वेबसाईट https://cgayush.admissions.nic.in का अवलोकन किया जा सकता है।

नोटः-

1. सीटों की संख्या परिवर्तनीय है। संबंधित संस्था हेतु आयुष मंत्रालय भारत सरकार/भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग द्वारा निर्धारित सीट संख्या अंतिम तथा मान्य होगी।
2. आयुर्वेद महाविद्यालयों जिन्हें आयुष मंत्रालय भारत सरकार/भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग से अनुमति/मान्यता तथा संबंधित विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त हैं, उन्हीं महाविद्यालयों में काउंसिलिंग/प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी।
3. ऑनलाईन आवेदन पूर्ण करने के बाद Lock & Submit करने के पश्चात् भी यदि ऑनलाईन आवेदन में परिवर्तन करना चाहते हैं तो परिवर्तन हेतु निःशुल्क Reset करने की सुविधा आवेदन की अंतिम तिथि तक उपलब्ध रहेगी।
4. महाविद्यालय आबंटन से पूर्व अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का परीक्षण नहीं किया जा रहा है। अतः अभ्यर्थी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करते समय विशेष सावधानी रखें। रजिस्ट्रेशन फॉर्म में त्रुटि होने पर या गलत जानकारी दिये जाने पर रजिस्ट्रेशन/आबंटन निरस्त किया जायेगा तथा नियमानुसार आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। इस संबंध में संचालक, आयुष का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा।
5. अभ्यर्थी आबंटन पत्र में उल्लेखित समस्त दस्तावेजों के साथ दस्तावेज परीक्षण एवं प्रवेश हेतु उपस्थित होवें।
6. दस्तावेज परीक्षण पश्चात् निर्धारित शैक्षणिक शुल्क जमा कर आबंटित महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। शुल्क तत्काल जमा करना अनिवार्य होगा।

7. भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा-निर्देश अनुसार आवेदकों की इन्टर्नशिप 31 जुलाई 2025 तक अनिवार्यतः पूर्ण होनी चाहिए।

8. सभी शासकीय एवं निजी आयुर्वेद महाविद्यालयों के आयुर्वेद स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की सभी सीटों का आबंटन संचालनालय आयुष, रायपुर द्वारा गठित समिति द्वारा किया जावेगा। अतः किसी व्यक्ति/संस्था/एजेंसी के प्रलोभन में न फसें।

9. प्रवेश एवं काउंसिलिंग से संबंधित अन्य निर्देश/सूचना की अद्यतन जानकारी हेतु नियमित रूप से उक्त वेबसाईट का अवलोकन किया जा सकता है।

Digitally signed by
SHIKHA RAJPUT TIWARI
Date: 14-11-2025
13:02:39

आयुक्त
आयुर्वेद, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा,यूनानी,
सिद्ध एवं होम्योपैथी (आयुष) छत्तीसगढ़